।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।
E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 820 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, अगस्त 21 /2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषयः– **जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.598है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **आपका पत्रांक 1460/10 एल0ए0 दिनांक 30.07.2024. एवं प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0 2229/12–1 दिनांक 27.04.2024.**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र में अवगत कराया गया था, कि विषयांकित प्रकरण में वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में चाही गयी सूचना प्रस्ताव में संलग्न करने हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्ताव की सभी प्रतियां को वापस प्राप्त कर समस्त इंगित कमियो/सूचनाओं का निराकरण करते हुए प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय से प्रस्ताव प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये ताकि प्रकरण वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

निर्गमनार्थ प्राधिकृत
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
(चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः– 820 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निर्गमनार्थ प्राधिकृत
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
(चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2229 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 27 अप्रैल, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय :– जनपद–चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5.00 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होतु हुये बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.598 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/153238/2022)

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–1835/12–1 दिनांक 20.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्ताव में निम्नानुसार अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्नानुसार हैं :–

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–FC-11/43/2021-FC दिनांक 16. 01.2023 में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–

   a. In respect of linear projects, the stiuplated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guideline dated 08-06-2022, will be proportionate to the extenet of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such plans, whichever is more, should be charged from the user agency.

   b. The provisions of of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the compentent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and / or 0.5% of project cost proportionate to the extent of forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

   उक्तानुसार Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड़ किया जाए।

2. प्रश्नगत प्रकरण गैर स्थल विशिष्ठ की श्रेणी (Non Site Specific Category) के अन्तर्गत होने की दशा में कृपया सक्षम स्तर से प्रकरण के सम्बन्ध में Justification भी पोर्टल में अपलोड़ किया जाय।
3. प्रस्ताव में existing road से लाभान्वित होने वाले गांव की दूरी का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।
4. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये निर्देश के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का तकनीकी एवं सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये ताकि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा मलवा निस्तारण स्थल की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपनी पूर्ण संस्तुति सहित SIR के साथ प्रस्ताव में संलग्न करते हुये ऑनलाईन पार्ट–II में यथास्थान अपलोड की जाय।
5. प्रभागीय वनाधिकारी एवं प्रस्तावक विभाग के द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में लगाया जाय कि मलवा निस्तारण स्थल के वृक्षों का पातन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी की SIR में प्रस्ताव का विवरण शामिल करते हुये SIR संलग्न प्रारूप में तैयार कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। (प्रति संलग्न)
7. प्रस्तावक विभाग को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि पर गंदगी नही फेंकी जाएगी।

एम0एल0 फाइल पर लाभान्वित होने के लिए प्रस्तावित गाव के पास सभी मौजूदा सड़कों को चिह्नित किया जाए।
मौजूदा सड़कों और प्रस्तावित सड़कों को अलग–अलग रंगों से चिह्नित किया जाए।
डम्पिंग यार्ड को जनोपयोगी कार्यों हेतु उपयोग में लाया जायेगा।

10. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को बेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाय की वह Stabilized हो जाय ताकि भविष्य में उक्त स्थल मे पौधा रोपण करने में सुविधा हो।
11. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इंविरोनिमंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव–उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।
12. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Maycorrizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फास्फोरस प्रदान करते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियॉ पाई गयी हैं उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त कर लेवें तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण करते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या :– 2229 /12–1 दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि** :– प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।
2. **प्रतिलिपि** :– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग को उपरोक्त विषयक क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर आख्या सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।